

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक :-एफ.4(ई)/(27/92)/अलेसे -III/12236-42 दिनांक :- 10-12-15

आदेश संख्या: 15 / 2014-15

श्री नरसिंह राम, कनिष्ठ लेखाकार (लिनक नं0 3243) के विरुद्ध अपराध संख्या 271/2011 में अभियोजन स्वीकृति जारी कर विभागीय आदेश क्रमांक 13181-194 दिनांक 27.03.2014 के द्वारा तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया गया था।

श्री नरसिंह राम द्वारा उक्त अभियोजन स्वीकृति आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या SBCW 3442/2014 दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया।

इसके पश्चात श्री नरसिंह राम द्वारा पुनः माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या SBCW 11911/2015 दायर की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया कि आवेदक निदेशालय कोष एवं लेखा को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे, जिस पर निदेशालय द्वारा विचार कर आदेश जारी किया जावे।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में श्री नरसिंह राम से प्राप्त अभ्यावेदन एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र क्र. प.2(157)कार्मिक/क-3/87 दिनांक 03.06.2006 की अनुपालना में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिका के अध्यक्षीन रखते हुए श्री नरसिंह राम को तुरन्त प्रभाव से निलम्बन से बहाल किया जाकर इनका पदस्थापन कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त बालोतरा, बाड़मेर किया जाता है।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक :-एफ.4(ई)/(27/92)/अलेसे -III/12236-42 दिनांक :- 10-12-15
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज. जयपुर।
2. कोषाधिकारी, जालौर।
3. श्री नरसिंह राम, कनिष्ठ लेखाकार (लिनक नं0 3243) मुख्यालय कोषालय, जालौर।
4. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु)।
5. निजी सहायक निदेशक महोदय।
6. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली/श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, सहायक लेखाधिकारी-II कार्यालय हाजा।

(प्रदीप माथुर)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)